बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। संकल्प ।।

पटना—15, दिनांक—

सारण जिले में फैले बालू के अवैध खनन्, भंडारण एवं परिवहन के आरोप के मामले में श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से. (बिहार : 2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम 8 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक संख्या—11619 दिनांक 08.09.2017 निर्गत करते हुए श्री आनन्द से बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी थी। श्री आनन्द के दिनांक 25.09.2017 के लिखित बचाव बयान पर सम्यक विचारोपरांत बचाव बयान अस्वीकृत करते हुए अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—8 (6) (a) के अंतर्गत श्री आनन्द के विरूद्ध गठित आरोप की जाँच हेतु विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी और इस कार्य में सहयोग के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के अवर सचिव से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. तद्नुसार, श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से. (बिहार:2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से. (बिहार:2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति होने की तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों में अथवा 10 (दस) कार्य दिवसों के बाद विहित किसी समय या उससे अनधिक दस दिनों के अंदर किसी समय जैसा जाँच पदाधिकारी आदेश दें, स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ उपस्थित होंगे।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सभी सुसंगत कागजातों यथा आरोप का मद, कदाचारिता विवरणी, साक्ष्यों आदि की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से. (बिहार:2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, समान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय। साथ ही, खान एवं भूतत्व विभाग को निदेशित किया जाता है कि विभाग के अवर सचिव से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :—6/आ.—51/2017—सा.प्र.— /पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपि :— विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को सभी सुसंगत कागजातों की प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से. (बिहार:2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में को सभी सुसंगत कागजातों की प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—01/06, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक :–6/आ.–51/2017–सा.प्र.–868 /पटना–15, दिनांक–17-1-18

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया इस आदेश को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रतर कार्रवाई की जाय।

17/1/18

सरकार के अपर सचिव।